प्रेषक,

श्री प्रभात चन्द्र चतुर्वेदी
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।
2. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश ।

खाद्य तथा रसद अनुभाग-6

लखनऊ: दिनांक 22 जुलाई, 1999

विषय:- क्षेत्र पंचायतों को प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-930/29-खा-6, दिनांक 3-5-99 द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुचारू रूप से संचालन हेतु विकास खण्ड स्तर स्थित विपणन गोदामों के निरीक्षण का पूर्ण अधिकार क्षेत्र पंचायतों को दिया गया है जिसके संबंध में निम्न दिशा निर्देश दिये जा रहे हैं :-

(1) नयी व्यवस्था के तहत क्षेत्र पंचायत के ब्लाक प्रमुख या उसके द्वारा नामित सदस्य को अब यह अधिकार होगा कि वह अब विकास खण्ड स्तर पर स्थित विपणन गोदाम, उसमें संग्रहीत अनुसूचित वस्तुओं, स्टाक रजिस्टर तथा निर्गमन रजिस्टर का निरीक्षण किसी भी दिन किसी भी समय कर सकते हैं ।

(2) विकास खण्ड स्तर पर स्थित प्रत्येक विपणन गोदाम पर एक निरीक्षण रजिस्टर रखा जायेगा जिसमें ब्लाक प्रमुख या उनके द्वारा नामित सदस्य किसी भी समय निरीक्षण करते समय अपना निरीक्षण टिप्पणी तथा अपने सुझाव रजिस्टर में अंकित कर सकते हैं । गोदाम प्रभारी रजिस्टर में अंकित सुझावों पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे । यदि गोदाम प्रभारी सुझावानुसार कार्यवाही करने में प्रशासनिक/वित्तीय/विधिक कठिनाई महसूस करते हैं तो ऐसे मामले में अपने उच्च अधिकारी से मार्गदर्शन प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे ।

---------2-

310

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

Prabhat

ऋ प्रभात चन्द्र चतुर्वेदी ऋ
सचिव ।

संख्या-2764ऋ1ऋ/29-खा-6-99-37सामान्य/99, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

ऋ1ऋ आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ ।
ऋ2ऋ समस्त संभागीय खाद्य नियंत्रक, उत्तर प्रदेश ।
ऋ3ऋ समस्त सहायक आयुक्त, खाद्य, उत्तर प्रदेश ।
ऋ4ऋ समस्त जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
ऋ5ऋ मुख्य वितरण अधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
ऋ6ऋ पंचायती राज अनुभाग-1 को उनके पत्र संख्या-1642/33-1-99, दिनांक 12 अप्रैल, 1999 के संदर्भ में सूचनार्थ ।

आज्ञा से,

ऋ नरेश बहादुर ऋ
अनु सचिव ।